

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम: 2017 के
अन्तर्गत पात्र कार्मिकों के विकल्प का प्रारूप ।

स्थानान्तरण सत्र वर्ष 2019

क्र. सं.	संवर्ग का नाम	पात्रता का श्रेणी	पात्रता सूची का क्रमांक	पात्र कार्मिक का नाम	पात्र श्रेणी हेतु वरीयता के अनुसार 10 स्थानों के विकल्प	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

संवर्गवार संकलित सूचना पृथक-पृथक दी जाय ।

यथा- बा.वि.परि.अधि.,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी,,प्रधान सहायक, सुपरवाइजर, वरिष्ठ सहायक,कनिष्ठ सहायक ।

पात्रता की श्रेणी:- यथा सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम, अनुरोध के आधार पर ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,

जनपद-----